



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

गृहीक एवं कार्य तत्त्व, प्रदलोक भिन्ननग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001
फोन: 23353503, फैक्स: 23753523

230 / टीढी / 2021

दिनांक : 10.01.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

इनस्टेट बैनर प्राइवेट लिमिटेड, कर्वा तल, सैमान टावर्स, काशी मेजर रोड,
एम्पोर, चैम्बर्स-600 006 द्वारा भारत के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में
विद्युत के अंतर-राजिक व्यापार के लिए शेषी-V की अनुशासित प्रदान किए जाने
हेतु आयोग के सम्मान आवेदन किया गया है।

1. इनस्टेट बैनर प्राइवेट लिमिटेड को अंतर-राजिक व्यापार अनुशासित प्रदान
किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के सम्मान किए गए आवेदन की प्रति,
उसके अनुबंधी और संलग्नकों के साथ, वेबसाइट www.instantventure.com
से प्राप्त की जा सकती है या नियोजित प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोग के
कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
2. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रधम यूटिट
में आवेदक विद्युत में अंतर-राजिक व्यापार की लिए अनुशासित प्रदान किए जाने
का पात्र है और आयोग ने दिनांक 8.1.2022 के आदेश द्वारा आवेदक को संपूर्ण
भारत में विद्युत के अंतर-राजिक व्यापार के लिए शेषी-V की अनुशासित प्रदान
किए जाने का प्रस्ताव किया है।
3. आयोग द्वारा यह पूरीत विद्युत में अंतर-राजिक व्यापार करने के लिए
अनुशासित प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव के प्रति सुझाव या आपत्तियों, यदि कोई
हो, जामीनियम करने के लिए जामीनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड
(क) के अनुसार में एतद द्वारा नोटिस दिया जाता है जिसे अधीक्षता करनी द्वारा
दिनांक 28.1.2022 तक उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए। जिनींदिए
तारीख के बाद प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. आयोग अंतिम विषयान के लिए सभी अनुक्रम में तारीख नियोजित करेगा और वह
व्यक्ति जिसने सुझाव या आपत्तियों दायर की है, अपने विकेक से सुनवाई में
उपरिलिप्त ही सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा किसी टीए/कीए का भुगतान
नहीं किया जाएगा।

हस्ता. /—

(सनोज कुमार झा)

सचिव